संख्या:904/15-6-98-10(स)71/89

प्रेषक,

श्री संजीव सरन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0लखनऊ ।

शिक्षा (6) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 28 अप्रैल, 1998

विषय:- अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता की शर्तों में संशोधन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-230/15-6-96-10(स)71/89, दिनांक 10 जनवरी, 1996 में उल्लिखित व्यवस्था (घ) अस्थाई मान्यता प्रथम बार तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। तीन वर्ष के बाद आवेदन करने पर अस्थाई मान्यता का दो वर्षों के लिए पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। सम्बंधी व्यवस्था से विसंगतियाँ उत्पन्न होने के कारण और मान्यता संबंधी नियमों को और सरल बनाये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली, 1972 की धारा 13 की उपधारा -1 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता संबंधी शासनादेश संख्या-230/15-6-96-10(स)71/89 दिनांक 10-1-96 के प्रस्तर -1 के (घ) में उल्लिखित व्यवस्था में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

प्रस्तर -10 की सामान्य शर्तों में संशोधन -

पूर्व नियम	वर्तमान नियम
(घ) अस्थाई मान्यता प्रथम बार तीन वर्ष के लिए दी जायेगी, तीन वर्ष के बाद आवेदन करने पर अस्थाई मान्यता का दो वर्षों के लिए पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है ।	अस्थाई मान्यता समस्त निर्धारित शर्तें पूर्ण होने के उपरान्त प्रदान की जायेगी एवं अस्थाई मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक की उसे स्थाई मान्यता प्रदान न कर दी जाती है । अर्थात अस्थाई मान्यता का नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

Scanned with CamSca